भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2038

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

एमएसएमई को ऋण

2038. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस. :
श्री अजय कुमार मंडल :
श्रीमती नवनित रवि राणा :
श्री सुनील कुमार पिन्टू :
श्रीमती लॉकेट चटर्जी :
श्रीमती रमा देवी :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्री रमेश चन्द्र कौशिक :
श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा में बैंकों से ऋण प्राप्त करने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पेश आ रही चुनौतियों से पिपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देते समय बैंकिंग संस्थाओं द्वारा मांगी जा रही संपार्श्विक प्रतिभूतियों का आकलन किया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है कि उक्त राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से मांगे जा रहे ऋणों के लिए संपार्श्विक अपेक्षा उनके व्यवसाय के आकर और वित्तीय क्षमता के अनुसार उचित हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के प्रचालन का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने बंद पड़े एमएसएमई का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ड) : सरकार ने महाराष्ट्र, बिहार, पश्चित बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पर्याप्त वित्तीय पहुंच और निर्बाध ऋण सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। ऋण संबंधी पहलों में कुछ निम्नानुसार सम्मिलित हैं:-

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जो एक प्रमुख क्रैडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वरोजगार सृजित करना है;
- गैर-निगमित, गैर कृषि सूक्ष्म/लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई);

- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रैडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) । यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक प्रचालन में थी।
- क्रैडिट गारंटी योजना के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को कोलेट्रल और तृतीय पक्ष की गारंटी परेशानी के बिना अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के ऋण की वितरण प्रणाली को सूदृढ़ करना और उसके प्रवाह के लिए सुविधा देना।

24 जुलाई, 2017 (29 जुलाई, 2022 को अद्यतित) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण प्रदान करने पर आरबीआई मास्टर ड्यरैक्शन एफआईडीडी, एमएसएमई और एनएफएस. 12/06.02.31/2017-18 के पैरा 4.2 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों को छोड़कर) एमएसई क्षेत्र की इकाइयों की 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेट्रल सिक्योरिटी स्वीकार न करने के आदेश दिए गए हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रैडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) अपने सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानो को बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी और तीसरे पक्ष की गारंटी के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रदान करने हेतु क्रैडिट गारंटी प्रदान करता है। सीजीटीएमएसई ने हाल ही में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में एमएसई के लिए क्रैडिट गारंटी को बढ़ावा देने हेतु उन राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर काम किया है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(च) : 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 1,029 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर सितम्बर, 2021 से जनवरी, 2022 तक सिडबी द्वारा किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि उत्तरदाता एमएसएमई में से 67 प्रतिशत एमएसएमई अस्थायी रूप से तीन महिनों की अवधि के लिए बंद कर दी गई थी। अध्ययन दर्शाता है कि लगभग 65 प्रतिशत एमएसएमई का सर्वे किया, जिन्होंने आकस्मिक क्रैडिट गारंटी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त किया है और लगभग 36 प्रतिशत उत्तरदाता एमएसएमई ने भी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रैडिट गारंटी योजना के तहत ऋणों का लाभ उठाया है।

***

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2038, जिसका उत्तर दिनांक 14.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राशि (करोड़ रुपए में)

अनुमोदित सीजीटीएमएसई-गारंटी										
	महाराष्ट्र		**बिहार**		**पश्चिम बंगाल**		**तमिलनाडु**		**हरियाणा**	
अवधि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वित्त वर्ष 2020-21	71,850	4,416	22,317	1,086	29,789	1,618	61,535	3,344	18,499	1,218
वित्त वर्ष 2021-22	56,027	6,840	24,217	1,661	37,033	2,887	44,897	4,134	22,285	2,707
वित्त वर्ष 2022-23	66,055	11,926	42,360	3,468	54,440	6,036	61,883	7,114	30,343	5,025
वित्त वर्ष 2023-24 30/11/2023 तक	72,134	13,078	51,934	4,285	57,551	6,693	65,327	8,541	28,632	5,225
स्थापना के बाद से संचयी 30/11/2023 को	6,33,179	62,807	3,29,852	19,330	4,02,097	29,218	6,67,115	42,270	1,71,742	19,457

स्रोत: सीजीटीएमएसई

****